बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

दिनांक–19.09.2019

इस वर्ष 2019 में मॉनसून अवधि के दौरान राज्य के कई जिलों में अल्प वर्षापात के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य से काफी कम हुआ है। फलस्वरूप 18 जिलों के कुल 102 प्रखण्डों जहाँ वास्तविक वर्षापात में सामान्य वर्षापात से 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की कमी दर्ज की गयी है, के अन्तर्गत कुल 896 पंचायतों में जहाँ खरीफ आच्छादन 70 प्रतिशत अथवा उससे कम हो पायी है, के सभी परिवारों को राहत पहुँचाने हेतु **''तत्काल सहायता''** के रूप में `3000 प्रति परिवार की दर से नगद राशि उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह राशि PFMS प्रणाली (Public Financial Management System) के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जा रहा है। **श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा आज दिनांक 19.09.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न इसका शुभारंभ किया गया।**

पहले चरण में प्रभावित पंचायतों के कुल 126918 सत्यापित परिवारों को `3000 प्रति परिवार की दर से कुल `380754000 (अड़तीस करोड़ सात लाख चौवन हजार) रूपये ''**तत्काल सहायता''** की राशि का अंतरण PFMS प्रणाली के माध्यम से ICICI Bank द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में किया गया, जो उन्हें अगले 48 घंटे के अन्दर प्राप्त हो जायेगा। शेष परिवारों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सत्यापनोपरान्त उन्हें भी **''तत्काल सहायता''** की राशि का वितरण जल्द ही कर दिया जायेगा। लाभार्थियों के बैंक खाते में **''तत्काल सहायता''** राशि के अंतरण के पश्चात SMS के माध्यम से उन्हें सूचित भी किया जा रहा है।

अपर सचिव